

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

13-01-25 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2412 दिनांक 19.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.02.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत अन्तिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है :-

ग्राम पांसल पटवार हल्का पासंल, भू0अ0नि0 क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी न0	रकबा (है0)
01	1. गलकू देवी पुत्री देबीलाल हि0 261/1162 जाति गाडरी सा0 गांधीनगर भीलवाडा 2. जमना देवी पुत्री देबीलाल हि0 901/2324 जाति गाडरी सा0 गांधीनगर भीलवाडा 3. प्रेम देवी पुत्री देबीलाल हि0 901/2324 जाति गाडरी सा0 गांधीनगर भीलवाडा	2885	0.4648 नहरी-11 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.4648 हैक्टेयर भूमि
02	1. निधी पत्नी रघुराज सिंह लोढा निवासी 108 कांचीपुरम भीलवाडा	2885/2	0.2560 (0.2307 नहरी-11, 0.0253 बंजड़) कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.2560 हैक्टेयर भूमि

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 13-01-25 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक फैलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 60/2023 दायर दिनांक 15.05.2023 निर्णय दिनांक 19-05-23

उनवान

1. श्रीमती निधी पत्नी रघुराज सिंह लोढा निवासी 108 कांचीपुरम बी0एस0एल0 रोड भीलवाड़ा --- वादीया

बनाम

1. श्रीमती गलकू देवी पुत्री देबीलाल गाडरी, निवासी गांधीनगर भीलवाड़ा।
2. श्रीमती जमनादेवी पुत्री देबीलाल पत्नी नारायण गाडरी, निवासी गांधीनगर भीलवाड़ा हाल मुकाम मन्दारा के पास गाडरी मोहल्ला, माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री देबीलाल पत्नी उदयराम गाडरी, निवासी गांधीनगर भीलवाड़ा। हाल निवासी बस स्टेण्ड के पास, कोटडी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा। --- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षीगण 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 04की और से पैराकार सरकार उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-
ग्राम पांसल पटवार हल्का पासल, भू0अ0नि0 क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी न0	रकबा (है0)
01	1. गलकू देवी पुत्री देबीलाल हि0 261/1162 जाति गाडरी सा0 गांधीनगर भीलवाड़ा 2. जमना देवी पुत्री देबीलाल हि0 901/2324 जाति गाडरी सा0 गांधीनगर भीलवाड़ा 3. प्रेम देवी पुत्री देबीलाल हि0 901/2324 जाति गाडरी सा0 गांधीनगर भीलवाड़ा	2885	0.4648 नहरी-आ कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.4648 हैक्टेयर भूमि
02	1. निधी पत्नी रघुराज सिंह लोढा निवासी 108 कांचीपुरम भीलवाड़ा	2885/2	0.2560 (0.2307 नहरी-आ, 0.0253 बंजड़) कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.2560 हैक्टेयर भूमि

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें, प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं